

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 026/2022 (GCMS 2022/142)	दायर दिनांक 27.05.2022	निर्णय दिनांक 21.06.2022
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

बालमुकुन्द राठी पिता मधुसुदन राठी c/o महेश ज्ञान मंदिर कल्ला जी के मंदिर के सामने नवरत्न नगर, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

-:: निर्णय ::-

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 23.03.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./026/2022(सू.अ.)(21.06.2022)/442 दिनांक 27.05.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.06.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 21.06.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

दिनांक 21.06.2022 को अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा कि उसे आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः सूचना दिलवाने का आदेश प्रदान करावें। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक कमेंट्स अप्राप्त।



हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना आदिनांक तक अप्राप्त हैं। अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा भी आदिनांक तक कमेंट्स प्रेषित नहीं किए गए हैं जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में उनके स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना नियमानुसार तैयार कर 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांत को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.06.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
21.06.2022